न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 68/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गुलाब कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत नि.सांगरिया हाल नि. पिपलोनकलां तहसील आगर म.प्र.
2. उम्मेद कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी सुरेसिंह जाति राजपूत नि.सांगरिया हाल नि. झुमकी तहसील माकडोन जिला उज्जैन म.प्र.

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मेहरबानसिंह पि. जुझारसिंह जाति राजपूत नि.धतूरियाकलां तहसील पिडावा
2. जुझारसिंह पि. सरदारसिंह जाति राजपूत नि.धतूरियाकलां तहसील पिडावा
3. रशालकुंवर पि. मेहरबानसिंह जाति राजपूत नि.धतूरियाकलां तहसील पिडावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील अप्रार्थीगण – श्री हुकमचन्द कुमावत

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 107 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0. 6323 हेक्टर भूमि जो वर्तमान में खातेदार कैलाशबाई पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत नि. सांगरिया के नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक खातेदार कैलाशबाई प्रार्थीगण की भाभी है जो लाऔलाद फोत हुई है एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य कोई जायज वारीसान नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी में प्रार्थीगण ही वारीसान के रूप में आते हैं। प्रार्थीगण मृतक नाथूसिंह पि. हरीसिंह की सगी बहिने है और कैलाशबाई नाथूसिंह की पत्नि थी जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वारीसान मौजूद नहीं है इसलिये प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 अवैधानिक तरीके से मृतक कैलाशबाई की भूमि का फोती नामान्तरण अपने नाम खुलवाये जाने के निरन्तर प्रयास में है जबकि अप्रार्थी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 कैलाशबाई की बहिन का लडका है। वादग्रस्त आराजियात हरीसिंह से नाथूसिंह को एवं नाथूसिंह से कैलाशबाई को प्राप्त हुई है। कैलाशबाई की मृत्यु लाऔलाद होने एवं प्रार्थीगण हरीसिंह की पुत्रियां होने से कैलाशबाई की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण फर्जी वसीयत के आधार पर खुलवाना चाह रहे है और अप्रार्थी सं. 2 व 3 जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है क्योंकि प्रार्थीगण हरीसिंह की जायज पुत्रियां है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि मृतक कैलाशबाई प्रार्थीगण की भाभी थी एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रार्थीगण कैलाशबाई की प्रथम श्रेणी की वारीस है। यदि फर्जी वसीयत के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 का नाम वादग्रस्त आराजी पर दर्ज हो जाता है तो अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थीगण को होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 107 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि में फौती नामान्तरण अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं करावे एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सांगरिया की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 107 एवं जमाबंदी सं. 2067–70 खाता सं. 168 जमाबंदी सं. 2063–66 खाता संख्या 164, जमाबंदी सं. 2055–58 के खाता सं. 136 की नकले पेश की एवं रघुवीरसिंह पि. बालसिंह, सतुसिंह पि. सिद्धसिंह, पूरसिंह पि. रामसिंह, कमलसिंह पि. विक्रमसिंह, भंवरसिंह पि. शिवसिंह, जुगराजसिंह पि. सज्जनसिंह, मांगूसिंह पि. भगवानसिंह के शपथ पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री हुकुमचन्द कुमावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विस्तृत जवाब में निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Chavan
Date: 2023.02.13 14:02:38 IST
Reason: Self-Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का आधार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पर स्थित किया है जो गलत है। खातेदार महिला है तथा स्वयं की खरीद भूमि है जो स्त्रीधन से कय की है। स्त्री की सम्पत्ति बाबत अलग प्रावधान है जो धारा 14, 15, 16 में आते है। मृतक कैलाशबाई की मृत्यु निर्वसियती नहीं हुई है। उन्होने अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था वसीयत के द्वारा निष्पादित की है। प्रार्थीगण मृतक खातेदार के वैध वारीसान की श्रेणी में नहीं आते है। मृतक खातेदार कैलाशबाई से प्रार्थीगण का रक्त, सहोदर, पिता दाय, माता दाय का संबंध नहीं है। जिससे प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। मृतक खातेदार कैलाशबाई ने अपनी बहिन के लडके मेहरबानसिंह अप्रार्थी सं. 1 को अपने पास रखा एवं उसके हक में वसीयत निष्पादित की है। वसीयत से पूर्व भी उक्त भूमि पर खातेदार कैलाशबाई की सहमति से अप्रार्थी सं. 1 काश्त करता था। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अंतिम वसीयत अस्तित्व में है इस कारण वाद पोषनीय नहीं है। मृतक खातेदार कैलाशबाई की मृत्यु निर्वसियती नहीं हुई है। प्रार्थीगण ने धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पेश किया जो गलत है। प्रार्थीगण खातेदार नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। मृतक खातेदार कैलाशबाई की मृत्यु के एक वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। जवाब पत्र के साथ दिनांक 21.12.2019 की वसीयत प्रति पेश की गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मृतका खातेदार कैलाशबाई जो लाऔलाद फोत हुई है एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य कोई जायज वारीसान नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारीसान के रूप में आते है। प्रार्थीगण मृतक नाथूसिंह पि. हरीसिंह की सगी बहिने है और कैलाशबाई नाथूसिंह की पत्नि थी जिसके कोई वारीसान मौजूद नहीं है इसलिये प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का [illegible] एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है इसलिये प्रार्थना पत्र [illegible] फैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner

(6)

बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार मृतका कैलाशबाई ने अपने जीते जी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है। वादग्रस्त भूमि मृतका कैलाशबाई की खरीद भूमि है। मृतका खातेदार कैलाशबाई की मृत्यु निर्वसियती नहीं हुई है। खातेदार मृतका कैलाशबाई द्वारा की गई अंतिम वसीयत को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड, वसीयत, शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया।

किसी भी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना न्यायहित में अति आवश्यक है कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक पक्षकार के हित में प्रथम दृष्टया प्रकरण काबिल अनुतोष है या नहीं।

इस प्रकरण में ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 107 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0.6323 हेक्टर भूमि खातेदार कैलाशबाई पत्नि नाथूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि नामा.सं. 1527 दिनांक 20.11.2015 के माध्यम से कैलाशबाई के नाम दर्ज हुई है तथा उपरोक्त नामान्तरण एक बेचान पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता मृतका कैलाशबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं पुश्तैनी आराजी की श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही प्रार्थी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के हवाले से वादग्रस्त भूमि के उत्तराधिकार प्राप्त करने की जो दलील दी गई है, वह, प्रथम दृष्टया भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति होने से तथा वसीयतकर्ता कैलाशबाई के निर्वसियत नहीं फोत होने से, पूर्णतः अप्रासंगिक है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है।

वादग्रस्त आराजी कैलाशबाई की स्वअर्जित खरीदशुदा भूमि है एवं मृतका खातेदार कैलाशबाई द्वारा अपने खाते की भूमि ख.नं. 826, 827 किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिये वसीयत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित की गई है ऐसी स्थिति में दौराने वाद यदि भूमि के सम्पूर्ण उपभोग व उपयोग से संबंधित निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वसीयत ग्रहिता को निश्चित तौर पर असुविधा उत्पन्न होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अतः सुविधा का संतुलन बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं होगा।

अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहने वाले प्रार्थी को यह सिद्ध करना अति आवश्यक है कि यदि दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रथम दृष्टया हकधारी प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति (यानि ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी) होने की संभावना सिद्ध करनी होती है।

विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विशेष कथन कर उल्लेखित किया है कि वसीयत ग्रहिता मेहरबानसिंह (अप्रार्थी सं. 1) वसीयतकर्ता के साथ ही रहता था तथा वादग्रस्त आराजी को तब से ही काश्त कर रहा है। उक्त विशेष कथन का दौराने बहस भी प्रार्थीगण द्वारा संतोषप्रद प्रतिउत्तर, प्रतिकार या खण्डन नहीं किया जा सका।

ऐसी स्थिति में यदि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णनीय क्षति की संभावना वसीयत ग्रहिता अप्रार्थी सं. 1 को होगी।

आदेश

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने की स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होगी। अतः सुविधाओ को संतुलित रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

अभिषेक चारण
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested